

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
पीठासीन अधिकारी

प्रकरण संख्या: 31/18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी झालावाड़

भवानीसिंह पालावत आर०ए०एस

दायरा 09.04.2018

प्रार्थी.....

बनाम

- 1 राजु चौधरी पुत्र श्री प्रेमचंद चौधरी विक्रेता एवं मालिक मैसर्स बृजवासी ढाबा, बोरखेड़ी चौराहा अकलेरा रोड़।
- 2 विष्णु कुमार साबु। Nominee M/S Shiv Agrevo Lilimited Rampur Kota,
- 3 बजरंग कुमार साबु। Designated partner M/S Shiv Agrevo Lilimited Rampur Kota,
- 4 संदीप कुमार साबु। Designated partner M/S Shiv Agrevo Lilimited Rampur Kota,
- 5 सत्यप्रकाश साबु। partner M/S Shiv Agrevo Lilimited Rampur Kota,
- 6 निशा देवी साबु। partner M/S Shiv Agrevo Lilimited Rampur Kota,
- 7 पुजा साबु। partner M/S Shiv Agrevo Lilimited Rampur Kota,
- 8 गिरीराज साबु। partner M/S Shiv Agrevo Lilimited Rampur Kota,

गैर सायलान.....

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)/51 एफ०एस०एस० एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित- 1-पेरोकार सरकार

2-गैर सायल 2 लगायत 8

आदेश

दिनांक:- 25.05.2018

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हू। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें राज० जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधि० झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 14.10.2017 को समय बाद सायं 01.00 बजे मय टीम के मैसर्स बृजवासी ढाबा बोरखेड़ी चौराहा अकलेरा रोड़ पर निरीक्षण के लिये पहुंचा। वहा पर राजु चौधरी पुत्र श्री प्रेमसिंह खाद्य पदार्थ पनीर (मलाई पनीर कोटा फ्रेश) कि सब्जी बनाकर विक्रय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय सब्जी बना कर खिलाने हेतु खाद्य पदार्थ पनीर (मलाई पनीर कोटा फ्रेश) pkd. 13 oct 2017 polypack Best Before 7 days form packing के 1 पैकेट जो कि एक फ्रिज में रखा हुआ था। जिससे सब्जी बनाने मे काम में लिया जा रहा था। जो आम जनता को खीलाई जा रही थी। उसमें मिलावट का संदेह होने पर उक्त ब्राण्ड पनीर 1 किलो को वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रु 200/- नगद देकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर करवा कर स्वयं ने किये जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजु चौधरी पुत्र श्री प्रेमसिंह विक्रेता एवं मालिक, ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति राजु को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ पनीर (मलाई पनीर कोटा फ्रेश) के 1 किलो के पैक चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में फोर्मलिन की 20-20 बूंद डालकर ढक्कन लगाकर एंयर टाईड बंद करके लेबल चिपकाये व खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी-913 नमूना लेने की दिनांक ,स्थान दर्ज

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी-913 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जापटों में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये, फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर स्वयं के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र दिनांक 03.11.17 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 841/एफएसएसएल/ कोटा/एक्ट /2017/816 दिनांक 02.11.17 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर (मलाई पनीर कोटा फ्रेश) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया जांच रिपोर्ट इस्तगासे के साथ संलग्न है। जिसकी सूचना अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा मय जांच रिपोर्ट की प्रति के गैर सायलान को भिजवाई गई जिसके विरुद्ध अपील प्राप्त नहीं हुई है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी झालावाड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 31 दिनांक 06.03.18 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त केस में गैर सायलान द्वारा पदार्थ पनीर (मलाई पनीर कोटा फ्रेश) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जयें नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस में नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया-गैर सायल नं० 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा गैर सायलान नं० 2 लगायत 8 की ओर से द्वारकीलाल नागर द्वारा प्रा०पत्र. प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि कम्पनी द्वारा न्यायालय में जवाब आदि प्रस्तुत करने हेतु मुझे अधिकृत किया हुआ है, प्रा० पत्र के संलग्न अधिकृत किये गये नोटेरी स्टाम्प की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई साथ ही अनुरोध किया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा जुर्म स्वीकार है, कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

हमने बहस को सुना व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। गैर सायलान द्वारा पदार्थ पनीर (मलाई पनीर कोटा फ्रेश) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है। गैर सायल का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 51 में उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मददेनजर रखते हुए इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल नं० 1 को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ देखभाल कर क्रय कर विक्रय किया जावे साथ ही गैर सायलान 2 लगायत 8 को 20000/- (बीस हजार रुपये) के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फाईल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भवानी सिंह प्रालावात)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)